



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-365/2022

दिनांक- 03-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- महाराजगंज

मारपीट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 01.11.22 को ज्योती सिंह D/O जगदम्बा सिंह ग्राम- शिवपुर कोतवाली महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षियों द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर वादिनी की बहन जया सिंह को ईट पत्थर व राड़ से मारना पीटना जिससे वादिनी के बहन जया का सर फट जाना जिससे बेहोश हो जाना व बीच बचाव करने गयी वादिनी को भी मारना पीटना व गाली गुप्ता देना व जान माल की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 408/22 धारा 323/504/506/308 IPC बनाम 1.अवधेश सिंह S/O स्व0 राधेश्याम सिंह व 2.नेहा सिंह D/O अवधेश सिंह व 3.सरस्वती W/O अवधेश सिंह निवासीगण शिवपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ वतपत्तीशी उ0नि0 श्री अमरनाथ यादव के पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक- 03.11.2022 को उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अवधेश सिंह पुत्र स्व0 राधेश्याम सिंह सा0 शिवपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को सहदेवगंज बाजार से समय करीब 09.45 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 408/22 धारा 323/504/506/308 IPC थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-1. अवधेश सिंह पुत्र स्व0 राधेश्याम सिंह सा0 शिवपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह का0 रामबाबू व का0 सूरज कुमार थाना महाराजगंज आजमगढ़।

थाना- बरदह

अवैध तमंचे व कारतूस के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 03.11.22 समय 12.40 बजे, उ0नि0 भगत सिंह मय हमराह ठेकमा बाजार मे मौजूद थे कि सूचना मिली कि बौवापार गेट के पास थोड़ा पहले रूककर देखा तो दो संदिग्ध व्यक्ति बौवापार गेट से अन्दर की तरफ बढ़े कि पुलिस वालों ने उन्हे रूकने के लिए कहा लेकिन पुलिस वालो को देखकर भागने के प्रयास में थे परन्तु दोनो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है, पकड़ गये व्यक्तियों ने अपना नाम अजहर पुत्र अब्दुल वदूद साकिन मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष बताया जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद कारतूस .315 बोर बरामद हुआ तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम ज्ञानचल कुमार पुत्र बलिराम साकिन मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष बताया जिसके पास से एक अदद .315 बोर कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदमी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 355/22 व 356/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर अभि0 उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 355/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0

मु0अ0सं0 356/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0

आपराधिक इतिहास-

अभि0 अजहर पुत्र अब्दुल वदूद सा0 मोहम्मदपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़

क्र0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	143/18	3/5ए/5 गो0नि0अधि0	गंभीरपुर	आजमगढ़
2	65/20	3(1) उ0प्र0 गैग्रेस्टर एक्ट	गंभीरपुर	आजमगढ़

अभि0 ज्ञानचल कुमार पुत्र बलिराम सा0 मंगरावा रायपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़

क्र0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	46/22	147/188/269/332/341/353/504/506 भा0द0वि0 व 7 CLA ACT	गंभीरपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1- अजहर पुत्र अब्दुल वदूद साकिन मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

2- ज्ञानचल कुमार पुत्र बलिराम साकिन मंगरावा रायपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी- एक अदद कट्टा व 02 अदद जिन्दा कार0 .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

भगत सिंह (उ0नि0) चौकी ठेकमा मय हमराह थाना बरदह आजमगढ़।

थाना- अहरौला

किशोरी को अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

1. घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 24.09.2022 को खुद की लड़की उम्र 16 वर्ष को विपक्षीगण द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गये है, के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 365/2022 धारा 363/366 भादवि बनाम 1. रामेन्द्र विश्वकर्मा (रामन) पुत्र सुरेन्द्र विश्वकर्मा आदि 04 नफर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना उ0नि0 जनार्दन यादव को सुपुर्द की गयी थी।

दिनांक- 03.11.2022 को उ0नि0 जनार्दन यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामेन्द्र विश्वकर्मा उर्फ रामन पुत्र सुरेन्द्र विश्वकर्मा उम्र 21 वर्ष सा0 मिल्की पुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को फूलवरिया बाजार से समय करीब 08.35 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 365/2022 धारा 363/366 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

रामेन्द्र विश्वकर्मा उर्फ रामन पुत्र सुरेन्द्र विश्वकर्मा उम्र 21 वर्ष सा0 मिल्की पुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 जनार्दन यादव, का0 महेश यादव थाना अहरौला आजमगढ़

थाना- जहानागंज

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.05.22 को वादी मुकदमा महफूज अहमद पुत्र स्व0 मन्सूर अहमद ग्रा0 सुम्भी थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर दिये कि अभियुक्तगण द्वारा कुटरचित तथ्य गोपनीय तरीके से फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र अपनी पत्नी मंजू देवी के नाम बनवाकर तथा अपना पता अन्य जगह दर्शाता हुए अनुसूचित जाति के सदस्यो से बैनामा करा लेने के सम्बन्ध मे प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय में मुकदमा अपराध संख्या 178/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि बनाम 1. कमला देवी पत्नी स्व0 सदरी लाल ग्राम धरवारा थाना जहानागंज आजमगढ़ 2. मनोज चौरसिया पुत्र शंकर चौरसिया आदि 05 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री संतोष कुमार द्वारा की जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण:

उ0नि0 सन्तोष कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज चौरसिया पुत्र शंकर चौरसिया साकिन शुम्भी थाना जहानागंज आजमगढ़ को शुम्भी नहर के पास से समय करीब 08.50 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 178/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त- मनोज चौरसिया पुत्र शंकर चौरसिया साकिन शुम्भी थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1- उप निरीक्षक सन्तोष कुमार मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 03.11.2022 को राजकुमार सिंह प्रभारी मुबारकपुर मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 303/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल राम पुत्र श्री श्यामलाल नि0 ग्राम पुरुषोत्तमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को पुरुषोत्तम पुर बाजार से समय 08.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया । बाद गिरफ्तारी अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

राहुल राम पुत्र श्री श्यामलाल नि0 ग्राम पुरुषोत्तमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी

1. SHO राजकुमार सिंह मय हमराह प्रभारी निरीक्षक थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास - राहुल राम पुत्र श्री श्यामलाल नि0 ग्राम पुरुषोत्तमपुर थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1	19/2022	307,120बी,34 भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ़
2	303/2022	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	मुबारकपुर	आजमगढ़

थाना पवई

छेड़खानी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना- दिनांक 28.10.2022 को थाना पवई क्षेत्र की एक युवती ने थाना स्थानीय पर शिकायत कि दिनांक 24.10.2022 को समय 18.00 बजे रात वादिनी उम्र 19 वर्ष को डीहबाबा के स्थान पर दिया जलाने हेतु जाते समय अभियुक्तवंसन्त लाल के गन्ने के खेत में घात लगाकर वादिनी को पकड़कर गन्ने के खेत ले जाकर छेड़खानी की गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0स0 306/22 धारा 354ख भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5क एससी/एसटी एक्ट बनाम 1.राजन गौड़ पुत्र रामशकल गौड़ 2.शैलेश जायसवाल पुत्र प्रदीप जायसवाल 3. एक बाल अपचारी थाना पवई जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण: उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा दिनांक 3.11.2022 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.राजन गौड़ पुत्र रामशकल गौड़ 2.शैलेश जायसवाल पुत्र प्रदीप जायसवाल व एक नफर अपचारी समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार किया गया।दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 504 भादवि व 3(1)ब एससी/एसटी एक्ट की बढोत्तरी की गयी की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0स0 306/22 धारा 354ख भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना पवई आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:—

- 1.राजन गौड़ पुत्र रामशकल गौड़
- 2.शैलेश जायसवाल पुत्र प्रदीप जायसवाल निवासी नन्देशर थाना पवई जनपद आजमगढ़
3. एक बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली आजमगढ़

गैंगेस्टर एक्ट में एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना – वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक शशीचन्द चौधरी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा दौरान भ्रमण व आम आवाम से वार्ता के क्रम में पाया गया कि गैंगलीडर भखडू उर्फ परदेशी पुत्र स्व0 मंहगू राम ग्राम मिश्रौली थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ व गिरोह के सदस्य 1. भरत सिंह पुत्र स्व0 मुखनाथ सिंह ग्राम सर्फुद्दीनपुर थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ शातिर किस्म के अपराधी है। इनका एक संगठित गिरोह है यह अपना गिरोह बनाकर अपराध कारित करते हैं। स्वयं तथा अपने गैंग के सदस्य के साथ आये दिन आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ अर्जित करने के लिये अवैध शस्त्र बनाने व बेचने का कारोबार करने का अपराध कारित करते हैं, इनका जनता में काफी भय व्याप्त है। उक्त के आधार पर मु0अ0सं0 517/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत होकर प्रारंभिक विवेचना नि0अप0 राजेश कुमार महोदय द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण - प्रभारी निरीक्षक शशीचन्द चौधरी मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त भखडू उर्फ परदेशी पुत्र स्व0 मंहगू राम ग्राम मिश्रौली थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को हाफिजपुर चौराहे के पास से समय 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 517/22 धारा धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़ विरुद्ध 01.भखडू उर्फ परदेशी पुत्र स्व0 मंहगू राम ग्राम मिश्रौली थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ व गिरोह के सदस्य आदि 02 नफर अभियुक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण - भखडू उर्फ परदेशी पुत्र स्व0 मंहगू राम ग्राम मिश्रौली थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास- 01. मु0अ0सं0 4/20 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़ 02. मु.अ.सं. 38/19 धारा 3/5/25 25 शस्त्र अधिनियम थाना जहानागंज आजमगढ़ 03. मु0अ0सं0 517/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगे0 एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाले टीम का विवरण –

- 01.प्रभारी निरीक्षक शशी चन्द चौधरी मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़।